प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.12.2024

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 06.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर वाहन चोर 1.नदीम पुत्र शरीफ निवासी खुशहाल पार्क सकीना मस्जिद के पास पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष 2. मोईन पुत्र शकील निवासी खुशहाल पार्क सकीना मस्जिद के पास पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम घूमफिर कर पहले रैकी करते है तथा मौका पाकर मोटरसाइकिल या ई-रिक्शा आदि वाहन चोरी कर लेते है। यह मोटर साइकिल हमने खजूरी खास दिल्ली से चोरी की थी तथा चोरी किये गये वाहनों के हम हिस्से पुर्जे निकाल-निकालकर थोडा-थोड़ा करके बेच देते हैं। आज हम इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.नदीम पुत्र शरीफ निवासी खुशहाल पार्क सकीना मस्जिद के पास पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

2. मोईन पुत्र शकील निवासी खुशहाल पार्क सकीना मस्जिद के पास पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर वाहन चोरी/बरामदगी व एन0डी0पी0एस0 एक्ट के 02 अभियोग अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गयी कि उसकी जान पहचान के एक व्यक्ति संजय नागपाल द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर व धोखाधडी कर वादिया से 10,00,000 /- रूपये ले लिया व वापस नही किया, वापस मांगने पर अपनी पत्नी व महिला साथी के साथ मिलकर वादिया को धमकी देते हुए मारपीट की गयी। आवेदिका द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना की गयी। उपरोक्त घटना में नामित अभियुक्त की तलाश करने हेतु थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर टीमों का गठन किया गया।

दिनांक 06.12.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त संजय नागपाल पुत्र विनोद नागपाल निवासी ए-8 कीर्ती नगर थाना कीर्ती नगर दिल्ली हाल पता- B-603 MGI घरौंदा राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 39 वर्ष को GH7 सोसायटी के सामने रिछपाल गढी पुलिया रोड के

पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अभियुक्त संजय नागपाल पुत्र विनोद नागपाल निवासी ए-8 कीर्ती नगर थाना कीर्ती नगर दिल्ली हाल पता- B-603 MGI घरौंदा राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 39 वर्ष।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मेरी मुलाकात वादिया से वर्ष 2022 में हुई थी तथा हम दोनो आपस मे काफी बातचीत करते रहते थे। धीरे धीरे हम दोनो ने आपस मे मिलना जुलना शुरु कर दिया। हम पति पत्नी के तौर पर साथ रहने लगे। मै पूर्व से शादी शुदा हूँ। बाद में हम दोनो के बीच में मतभेद हो गये।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दुष्कर्म का 01 अभियोग व मारपीट के सबंध मे 01 अभियोग कुल 02 अभियोग थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक तथा धोखाधडी के संबंध मे थाना इन्द्रापुरम मे 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 10 लाख 01 हजार 400 रूपये बरामद।

दिनांक 04.12.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से घर का ताला तोडकर घर में रखे 16 लाख रुपये चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 05.12.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तों 1. विशाल पुत्र नन्दकिशोर निवासी कुम्हार कालोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2. नीरज पुत्र रमेश हाल निवासी मस्जिद वाली गली नम्बर 2 राहुल गार्डन सैनी मैरीज होम के पास के मकान में किरायेदार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम फतेहपुर पोस्ट पक्का तालाब जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 21 वर्ष 3. विनय पुत्र अनिल हाल निवासी मोहित डेरी के पास गैस गोदाम के पीछे खुशी वाटिका थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम परतापुर मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष 4. जगदीश पुत्र दुर्जन सिंह हाल निवासी किराये का मकान गैस गोदाम के पीछे खुशी वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, मूल निवासी किराये का मकान गली नम्बर 13 मण्डोली थाना मण्डोली दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को बन्थला नहर रोड अण्डर पास से थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 10 लाख 01 हजार 400 रूपये बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तो ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोगों ने खुशी वाटिका से वादी के घर से 16 लाख रुपये की चोरी की थी। ये रुपये जो हमसे बरामद हुए हैं ये उन्हीं रुपयो में से बचे हुए रुपये हैं बाकी रुपये हम सब ने खर्च कर दिये थे। हम बाकी बचे रुपयों को आपस में बांटने के लिए आये थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता-

1. विशाल पुत्र नन्दकिशोर निवासी कुम्हार कालोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद , उम्र करीब 20 वर्ष ।
2. नीरज पुत्र रमेश हाल निवासी मस्जिद वाली गली नम्बर 2 राहुल गार्डन सैनी मैरीज होम के पास के मकान में किरायेदार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम फतेहपुर पोस्ट पक्का तालाब फतेहपुर उम्र करीब 21 वर्ष ।
3. विनय पुत्र अनिल हाल निवासी मोहित डेरी के पास गैस गोदाम के पीछे खुशी वाटिका थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम परतापुर मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष ।
4. जगदीश पुत्र दुर्जन सिंह हाल निवासी किराये का मकान गैस गोदाम के पीछे खुशी वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, मूल निवासी किराये का मकान गली नम्बर 13 मण्डोली थाना मण्डोली दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण :-

चोरी के 10 लाख 01 हजार 400 रुपये बरामद ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा खुद के अपहरण की झूठी सूचना देने व लोगों का पुत्र बताकर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त को हिरासत में लेने के सम्बन्ध में ।

सूचना का विवरण: दिनांक 24.11.2024 को एक व्यक्ति जिसने थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद पर जाकर बताया कि मेरा नाम राजू है और मेरा आज से 30 वर्ष पहले अपहरण कर लिया गया था । जिन्होनें मुझे राजस्थान जैसलमेर में बन्धक बना कर रखा था । अब मुझे मौका मिला तो मैं एक ट्रक में बैठकर दिल्ली आ गया। दिल्ली से भटकते हुए थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पहुँचा । थाना खोडा पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति की पहचान हेतु फोटो सोशल मीडिया, समाचार पत्र व अन्य माध्यम से जारी की । इस सम्बन्ध में थाना खोडा पर गाजियाबाद के अन्य थाना क्षेत्रों के व्यक्ति व आस-पास के जनपदों से व्यक्ति उक्त व्यक्ति की पहचान हेतु आये । जिनमें तुलाराम पुत्र स्व0 श्री चन्दन सिंह नि0 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ने उक्त व्यक्ति की पहचान अपने पुत्र भीम के रूप में की । उक्त व्यक्ति को थाना खोडा पुलिस द्वारा तुलाराम उपरोक्त के सुपुर्द कर दिया गया। तुलाराम द्वारा शक होने पर थाना साहिबाबाद पर सूचना दी कि जिस व्यक्ति को मैं व मेरा परिवार अपने पुत्र भीमसिंह उर्फ पन्नू के रूप में शिनाख्त करके अपने घर लाये थे और वह मेरा पुत्र भीमसिंह उर्फ पन्नू बनकर मेरे घर पर पिछले 05 दिनों से रह रहा है उसके आचरण व हाव-भाव से मुझे उस पर संदेह है । आप उचित जाँच पडताल करें। इस सूचना पर थाना साहिबाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 613/93 धारा 363 भादवि के संबंध में राजू उपरोक्त को पूछताछ करने के लिये थाना साहिबाबाद बुलाया गया । राजू उपरोक्त द्वारा बार-बार पूछताछ के क्रम में अपनी सही पहचान छिपाकर काफी सोच सोच कर घबराते हुए स्वयं को तुलाराम का गुमशुदा पुत्र भीमसिंह उर्फ पन्नू बताता रहा । संदेह होने पर गहनता से पूछताछ की गयी तो इसने बताया कि मेरा सही नाम इन्द्रराज पुत्र चुन्नीलाल मेघवाल निवासी वार्ड नं0 10 चक 3 जे0एस0डी0 जसद बुगिया

थाना जैतसर जिला अनूपगढ राजस्थान है और यह भी बताया कि मैं बचपन में आसपडोस में छोटी मोटी चोरी करने लगा था जिससे तंग आकर परिवारजनों ने अभियुक्त इन्द्रराज को घर से वर्ष 2005 में बेदखल कर दिया था।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त इन्द्रराज पुत्र चुन्नीलाल मेघवाल निवासी उपरोक्त के संबंध में उसके विषय में गहनता से जाँच पडताल की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त इन्द्रराज बचपन से ही चोरी करने लगा था और जिस भी रिश्तेदारी अथवा जान-पहचान के लोगों के घर जाता था, वहां पर जो मिलता था वही चुरा लेता था। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तंग होकर परिवार वालो ने वर्ष 2005 में बेदखल कर दिया था।

- अभियुक्त इन्द्रराज रावत ने बताया कि मैं हेतराम के घर उनके दूर का रिश्तेदार तथा पैसो के जरूरत होने पर 3 माह रूका तथा मौका पाते ही उपरोक्त के घर से महत्वपूर्ण कागजात व जेवर आदि चोरी कर भाग गया जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त इन्द्रराज के विरूद्ध दिनांक 31.01.2021 को थाना रावतसर जनपद हनुमानगढ राजस्थान में मु0अ0सं0 53/21 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है, तथा इन्द्रराज के कब्जे से चोरी गये माल सोना चांदी के जेवरात व कागजात बरामद किये गये थे। बरामदगी के उपरान्त थाना रावतसर जिला हनुमानगढ पुलिस द्वारा आरोप पत्र सं0 33/21 दिनांक 08.02.2021 को इन्द्रराज उपरोक्त के विरूद्ध प्रेषित किया जा चुका है।
- अभियुक्त इन्द्रराज अपना पहचान छिपाकर आशा शर्मा पत्नी कपिल देव शर्मा निवासी ब्राह्मण वाला मजरा देहरादून में इसी वर्ष 2024 जुलाई माह से करीब चार महिने तक उनका बेटा मोनू बनकर उनके घर पर रहा। तथा वहां से दिल्ली में काम ढूढने के लिये चला गया।

- जून 2023 में अभियुक्त इन्द्रराज अपनी पहचान छिपाकर गुमशुदा पंकज कुमार पुत्र गउराम नायक ग्राम झीगर छोटी थाना दादिया जिला सीकर राजस्थान के नाम से उनका पुत्र बनकर करीब 02 माह तक रहा है। और मौका मिलने पर वहाँ से बिना बताये चला गया।
- इन्द्रराज करीब चार वर्ष पूर्व अपनी पहचान छिपाकर श्री आशाराम पुत्र मनपुरराम निवासी ग्राम लालगडिया थाना रजियासर जनपद गंगानगर के यहाँ उनके पुत्र रामप्रताप के रूप में करीब डेढ माह रहा है, जहां इसके परिजनों को जानकारी मिलने पर इसका भाई वहां से ले गया।
- दिनांक 25.11.2024 को अभियुक्त उपरोक्त थाना खोडा पर कमिश्नरेट गाजियाबाद के अन्य थाना क्षेत्रों के व्यक्ति व आस-पास के जनपदों से व्यक्ति उक्त व्यक्ति की पहचान हेतु आये। दिनांक 27.11.2024 को तुलाराम पुत्र स्व0 श्री चन्दन सिंह नि0 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ने उक्त व्यक्ति की पहचान अपने पुत्र भीम के रूप में की। उक्त व्यक्ति को थाना खोडा पुलिस द्वारा तुलाराम उपरोक्त के सुपुर्द कर दिया गया। तुलाराम द्वारा शक होने पर थाना साहिबाबाद पर सूचना दी कि जिस व्यक्ति को मैं व मेरा परिवार अपने पुत्र भीमसिंह उर्फ पन्नू के रूप में शिनाख्त करके अपने घर लाये थे और वह मेरा पुत्र भीमसिंह उर्फ पन्नू बनकर मेरे घर पर पिछले 05 दिनों से रह रहा है।
- अभियुक्त अपनी पहचान छिपाकर भटिंडा पंजाब, जैसलमेर राजस्थान, हिसार हरियाणा, सिरसा हरियाणा में अपनी अलग अलग पहचान बदलकर घरों में पुत्र बनकर रहा है। उपरोक्त घटनाक्रम के अलावा अन्य तथ्य प्रकाश में आये है। जिनका सत्यापन किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता

इन्द्रराज पुत्र चुन्नी लाल मेघवाल निवासी वार्ड न0 10 चक 3 जे0एस0डी जसद बुगिया थाना जैतसर जिला अनूपगढ राजस्थान उम्र करीब 38 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त इन्द्रराज उपरोक्त के विरुद्ध थाना रावतसर जनपद हनुमानगढ राजस्थान में चोरी का एक अभियोग पंजीकृत है।

हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।